रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2011/चैत्र 11, 1933
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2011/CHAITRA 11, 1933

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 291(अ).—कोयला खान संरक्षण और विकास नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 25 अक्तूबर, 2010 में भारत सरकार के कोयला खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 865(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2010 के अधीन प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र में उक्त अधिसूचना को प्रकाशित किया गया था, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र जनसाधारण को 29 अक्तूबर, 2010 को उपलब्ध कर दिया था;

और उक्त प्रारूप पर पैंतालीस दिन की नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) संशोधन नियम, 2011 है ।

2. कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में :—

(क) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(गक) कोयला खान के संबंध में जब "अभिकर्ता", "प्रबंधन" और "स्वामी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इनके वही अर्थ होंगे जो क्रमश: खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) में इनके लिए समनुदेशित होंगे ।

(गकक) "बैंक" से प्रत्यायित बैंक अभिप्रेत है,

(गकककक) "कोयला" अंतर्गत एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला या अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ के रूप में है जो कोयले के रूप में उत्पादन बेचा गया, आयात या बाजार में भेजा जाता है ;

"कोयला खान" से अभिप्रेत है ऐसी कोई खान या खुली खदान जिसमें कोयले का प्राप्त करना या उसका उत्खनन करना अथवा इसमें किए जाने वाले खनन खदान किया या अन्य प्रचालन करने का मुख्य उद्देश्य कोयले को चुनना और इसके अंतर्गत कोयले के उत्पादन करने और उसकी धुलाई करने के लिए संयंत्र भी है ;

(ख) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(घक) "सुपुर्दगी" जिसके अंतर्गत स्वामित्व या किसी स्वामित्व हित को सुपुर्द करने पर अपनी सहमति या प्रदान करना और सुपुर्द करना, कब्जे का अधिकार और ऐसा कब्जा जो स्वामित्व या किसी स्वामित्व हित या कब्जा लेने के अधिकार को सुपुदर्गी सहित हो अथवा न हो, भी है ।

(ग) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(चक) कोयले के संबंध में जब 'आकार' का प्रयोग किया जाएगा तब उसका विनिर्देश वही होगा, जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा समय-समय पर अपने विनिर्देश संख्या आईएस437-1979 में दिए जाते हैं ।

3. उक्त नियमों के नियम 5 का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियम के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

7. "जानकारी का दिया जाना --(1) प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक कोयला नियंत्रक को अपनी खान या खान से धोवन उत्पादन, धोवन और उत्पादन प्रक्रिया, अपनी खान या खान की कार्य पद्धति और शर्तों को कोयले के उत्पादन और प्रेषण के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो कोयला नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं । (2) कोयला नियंत्रक खान को खोलने, पुनः खोले जाने और समापन किए जाने के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जो कोयला नियंत्रक द्वारा आंकड़ा स्थानांतरण के लिए विहित किए गए माध्यम द्वारा अपेक्षित की जाए ।"

5. उक्त नियम के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"8. उत्पाद शुल्क का संग्रहण और निर्धारण –

(1) धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत उत्पाद-शुल्क कोयले और कोक के विक्रय के

लिए तैयार किए गए बिल में कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा पृथक् रूप से दर्शाए जाएंगे ।

(2) इस प्रकार उद्‌ग्रहीत उत्पाद-शुल्क कच्चे पर ही उद्‌ग्रहीत किया जाएगा जिसे कोयला खान कोक संयंत्र और कोयला धोवनी की अवास्थिति या उसके स्वागित्व को ध्यान में न रखते हुए, यथास्थिति, खान से प्राप्त किया जाता है, प्रेषित किया जाता है या कोक निर्माण के लिए या कोयला धोवनी के फायदे के लिए और सुपेय कोक के लिए उपयोग में लाया जाता है न कि कोक संयंत्र, कोयला धोवनी अंतिम उत्पाद और या किसी अन्य प्रक्रिया संयंत्र पर ।

(3) कोयले खान का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक प्ररुप क में एक निवेदन रखेगा जिसमें मास के दौरान वास्तव में प्रेषित कोयले या कोक की मात्राएं उन पक्षकारों की विशिष्टियों, जिनको ये प्रेषित किए गए थे और उनके लिए प्रभारित कीमते दर्शायी जाएंगी तथा धारा 6 के अधीन नियत दरों पर मास के दौरान संदेय उत्पाद शुल्क की रकम संगणित की जाएगी और जिसके दौरान प्रेषण किए गए थे, निम्नलिखित मास के दौरान मास के अंतिम दिन से पूर्व रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और जिसे इलैक्ट्रानिकली आंकड़ा स्थानांतरण के प्रचलित माध्यम द्वारा जानकारी दी जाए ।

(4) प्रत्येक स्वामी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका किसी मास के दौरान संदेय रूप में उपनियम (3) के अधीन संगणित और अभिलिखित रकम से अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया है और उसका उसी बैंक में संदेय करेगा, विप्रेषण एक विशेष खाते में केंद्रीय सरकार के प्रति निषेपित किया जाएगा । संदेय उस मास की जिसके दौरान प्रेषण किए गए थे, समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन संदाय प्रत्यायित बैंक में चालान/इलैक्ट्रानिक ट्रांसफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) के माध्यम से किया जाएगा । प्रत्यायित बैंक निक्षेपकर्ता को चालान की एक प्रति वापस कर देगा जो नियम (6) के अधीन इसकी एक प्रति कोयला नियंत्रक को भेज देगा ।

(6) उपनियम (5) में उपबंधित रीति से उत्पाद शुल्क के संदाय की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, किसी भी दशा में ऐसे संदाय की तारीख से तीस दिन के भीतर न की उसके पश्चात् कोयला खान का प्रत्येक स्वामी कोयला नियंत्रक को प्ररुप ख में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस मास के दौरान, जिसके संबंध में संदाय किया गया है, प्रेषित कोयले या कोक की मात्राएं उपनियम (5) के अधीन संदत्त रकम और उस प्ररुप में विनिर्दिष्ट अन्य

विशिष्टियां दर्शित की जाएंगी तथा यह उपयुक्त इलेक्ट्रानिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) द्वारा जानकारी दी जाएगी ।

(7) कोयला खान के स्वामी द्वारा शोध्य उत्पाद शुल्क का अंतिम निर्धारण कोयला नियंत्रक द्वारा उक्त विवरणी तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों को, यदि कोई हों, परीक्षा करने के पश्चात् किया जाएगा । इस उपनियम के अधीन अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए, कोयला नियंत्रक किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को, कोयला खान के परिसर पर रखी गई लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण और परीक्षा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा और सूचना द्वारा, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त अभिलेख सूचना में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे और इलैक्ट्रानिकली आंकड़ा स्थानांतरण में भी अपेक्षित करता हो ।

(8) यदि स्वामी ने उप नियम (4) के अधीन अंतिम रूप से निर्धारिती उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया है और उप नियम (6) के अधीन मासिक विवरणी प्रस्तुत कर दी है, तो कोयला नियंत्रक या तो इस बात की पुष्टि करेगा कि उप नियम (4) के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित उत्पाद-शुल्क अंतिम है और स्वामी को उस आशय का प्रज्ञापन भेजेगा, या वह देय पाई गई अतिरिक्त रकम का निर्धारण करेगा और ऐसी सूचना जारी करेगा, जिसमें स्वामी से उप नियम (5) में विहित रीति में, इस प्रकार देय पाई गई अतिरिक्त रकम का, विनिर्दिष्ट तारीख तक बैंक में संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी अथवा/या यदि उपनियम (4) के अधीन संदत्त, देय पाई गई रकम से अधिक पायी जाती है तो इस प्रकार संदत की गई अधिक रकम स्वामी को वापस कर दी जाएगी ।

(9) यदि स्वामी ने उपनियम (4) के अधीन संदाय नहीं किया है और उपनियम (6) के अधीन मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, तो कोयला नियंत्रक, स्वामी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उत्पाद-शुल्क की ऐसी रकम से उसका निर्धारण करेगा, जो उसकी राय में ठीक और उचित हो और एक सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे उपनियम (5) में विहित रीति में, विनिर्दिष्ट तारीख तक बैंक में पूरी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(10) कोयला नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् असंदत्त रहने वाले उत्पाद-शुल्क के किन्हीं भी शोध्यों की वसूली, कोयला खान के स्वामी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी और वे केंद्रीय सरकार के नाम में जमा किए जाएंगे । इस दशा में, कोयला नियंत्रक क्षेत्र के संबंधित कलैक्टर राज्य प्राधिकारी से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली प्रमाण-पत्र बनाऐगा ।

(11) किसी एक प्रेषण पर संदेय उत्पाद-शुल्क की रकम संगणित करने में किसी भी पैसे को निकटतम पांच पैसे या पांच पैसे के गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और प्रेषण का वास्तविक भार निकटतम टन तक पूर्णांकित किया जाएगा" ।

6. **उक्त नियम के नियम 9 के उपनियम (1) में,--**

(क) "उपनियम (8)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (7)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में "उपनियम (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

7. **उक्त नियम के नियम 10 में :--**

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) अपर सचिव (कोयला) कोयला मंत्रालय, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) वित्त सलाहकार और संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, पदेन (सदस्य)

(iii) सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय (सदस्य)

(iv) महानिदेशक, खान सुरक्षा, श्रम मंत्रालय, पदेन (सदस्य)

(v) ज्येष्ठ सलाहकार (ऊर्जा) योजना आयोग (सदस्य)

(vi) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल (सदस्य)

(vii) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल (सदस्य)

(viii) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (सदस्य)

(ix) निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड

(x) निदेशक (तकनीकी) एससीसीएल

(xi) निदेशक, खनन और फ्यूल अनुसंधान केंद्रीय संस्थान, धनबाद, पदेन (सदस्य)

(xii) कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, सदस्य सचिव

(xiii) निजी/कैप्टिव कोयले का उत्पादन करने वाले संगठनों के दो प्रतिनिधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे

(ख) उपनियम (3) में मद (iv) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1208 GI/11-2

"(iv) कोयला खान (जिसके अंतर्गत लिग्नाईट भी सम्मिलित है) के खान समा[illegible] की राष्ट्रीय नीति सूत्रण और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व" ।

8. उक्त नियम के नियम 12 में :-

(क) शीर्षक 1 के अधीन संरक्षण और सुरक्षा, (i) मद (ii) में, उप मद (घ) और (ङ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) शीर्षक (2) के अधीन कोयला खान का वैज्ञानिक विकास,

(i) मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) मद (vi) और (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(vi) मानव सवारी प्रणाली को प्रारंभ करना

(vii) खानों में आवेदन के लिए आईटी और अन्य इलैक्ट्रानिक सहायता करना ।"

(ग) शीर्षक (3) और (4) का लोप किया जाएगा ।

(घ) शीर्षक (5) के अधीन अनुसंधान और विकास,-

(i) मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(i) स्टोविंग पदार्थों का परिवहन," ;

(ii) मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा

(iii) मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(v) खानों में संवातन और अन्य वातावरणिक दशाओं का निर्धारण करना"

(iv) मद (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा

(v) मद (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(ix) केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिदेशित संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए कोई अन्य क्रियाकलाप"

9. उक्त नियमों के नियम 13 में "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "कोल नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 17 में "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "कोल नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे ।

11. अध्याय 5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अध्याय - 5क

कोयला नियंत्रक संगठन और उसके कृत्य तथा दायित्व

18क. **कोयले का वर्गीकरण** -- केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन वर्गों, श्रेणियों और आकारों को, जिनको कोयले को वर्गीकृत किया जा सकेगा और कोयले के प्रत्येक ऐसे वर्ग, श्रेणी या आकार के विनिर्देश को विहित कर सकेगी ।

18ख. **कोयले के वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया** -- (1) केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 3 के अधीन अधिसूचित वर्गीकरण के आधार पर कोयला नियंत्रक कोयला खान में खनित कोयले की श्रेणी की घोषणा और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए कोयले के नमूने और विश्लेषण की प्रक्रिया और पद्धति को अभिकथित करेगा ।

2. उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कोयला खान का स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक कोयला खान में किसी सीमा या किसी सीमा के अनुभाग के किसी कोयले के वर्गों, श्रेणियों या आकरों की घोषणा करेगा ।

3. कोयले के घोषित वर्ग, श्रेणी या आकार की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक कोयला नियंत्रक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को कोयला खान का निरीक्षण करने देगें । निरीक्षण के दौरान यदि कोयला नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नमूना लेने का निर्णय लेता है तो कोयले खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे नमूना लेने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगा ।

4. निरीक्षण या नमूना लेने के पश्चात् यदि कोयला नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि कोयला खान का स्वामी, अभिकर्ता तथा प्रबंधक द्वारा घोषित श्रेणी इस नियम के खंड (iii) के अधीन अधिसूचित श्रेणी के अनुरूप नहीं है तो कोयले खान का स्वामी, अभिकर्ता प्रबंधक कोयला नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार श्रेणी में संशोधन करने के लिए बाध्य होगा ।

5. यदि कोयले की श्रेणी की घोषणा करने के संबंध में कोयला खान के उपभोक्ता और स्वामी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद को कोयला नियंत्रक को भेजा जाएगा जिसका निर्णय कोयला खान के स्वामी पर बाध्य होगा । ऐसे विवाद के संबंध में कोयला नियंत्रक प्रतिनिर्देश ज्ञापन के साथ 2500 रुपए की फीस संलग्न की जाएगी और समय-समय पर कोयला नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार होगी ।

18ग. कोयला नियंत्रक को विवरणियां और जानकारियां प्रस्तुत करना - कोयला खान का प्रत्येक स्वामी और कोयला उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अथवा व्यापार और वाणिज्य संबंधी कारबारों में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति, कोयला नियंत्रक द्वारा निर्देशित किए जाने पर ऐसी विवरणियां और अन्य जानकारियां ऐसे समय के भीतर जिसे निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

18घ. कोयला स्टॉक के व्ययन को विनियमित करने के निदेश -- (1) केंद्रीय सरकार समय-समय पर जैसा वह उपयुक्त समझे कोयला स्टॉक या किसी भी अवधि के दौरान कोयला खान के संभावित भंडारों के व्ययन को विनियमित करने के लिए कोयला खान के किसी स्वामी को निदेश जारी कर सकेगी है ।

(2) केंद्रीय सरकार, कोयला के संरक्षण के प्रयोजन के लिए लिखित में ऐसे आदेश द्वारा ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो वह कोयले के उपयोग में मितव्ययता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे और सत्यापन के प्रयोजन के लिए ऐसे निर्देश जो पूर्ण किए जाए या पूर्ण किए गए हैं, उपभोक्ताओं से ऐसी जानकारियां और विवरणियां ले सकेगी जो वह आवश्यक विचार करे और उपभोक्ता द्वारा कोयले या कोक के स्टॉक का निरीक्षण करने के लिए प्रबंध करें ।

18ङ. गुणवत्ता संबंधी निगरानी के लिए कोयला नियंत्रक की शक्ति -- कोयला नियंत्रक या लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित के लिए सक्षम है --

(क) कोयले की श्रेणी और आकार के संबंध में कोयला नियंत्रक द्वारा अधिकर्षित प्रक्रिया के अनुसार लदान को समायोजित करने के लिए कोयला खान में लदे वैगनों, ट्राली या ट्रकों से शैल और पत्थरों जैसे खराब कोयला हटाने के लिए कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वैगनों, ट्राली अथवा ट्रकों में कोयले के लदान से जुड़े हो या उसका प्रभारी हों, को निदेश दे सकेगा,

(ख) निरीक्षण के पश्चात् लदान के समायोजन के लिए कोयला खान या ब्रिज-वे पर वैगनों, ट्राली या ट्रकों को रोकना, और

(ग) कोयले की विनिर्दिष्ट मात्रा और क्वालिटी सहित उतारने और पुनः लादने के लिए ब्रिज-वे पर वैगन, ट्राली या ट्रक को लौटा सकेगा ।

18च. कोयले के खनन या उत्पादन को सीमित करने या प्रतिषेध करने की शक्ति-- केंद्रीय सरकार किसी कोयला खान के स्वामी को और कोयले की किसी श्रेणी के उत्पादन अथवा खनन को सीमित करने या प्रतिषेध करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे और कोयला खान का स्वामी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे ।

18छ. कोयला खान, सिम या सिम के अनुभाग को खोलने की पूर्वानुमति की अपेक्षा करना-- (1) कोयला खान का स्वामी केंद्रीय सरकार की लिखित में पूर्वानुमति के बिना कोयला खान, सिम या सिम के किसी अनुभाग को नहीं खोलेगा ।

(2) किसी कोयला खान का स्वामी [illegible] या सिम या सिम के अनुभाग को केंद्रीय सरकार की लिखित में पूर्वानुमति के बिना शुरू नहीं करेगा जिसमें खनन प्रचालन एक सौ अस्सी दिन से बंद पड़ा है ।

18ज. निलंबन और समापन की सूचना-- यदि कोयला खान अथवा सिम या सिम का कोई अनुभाग खान प्रचालन में, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी रूप से किसी कारणवश निलंबित या बंद कर दिया गया हो तो कोयले खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक कोयला नियंत्रक को ऐसे निलंबन या समापन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सूचना देगा ।

18झ. कोयला खान के उप विभाजन का निर्बंधन करने की शक्ति-- कोयला खान कोई स्वामी या कोयला खान के समूह, जो नियम 18छ के अधीन एकल खान ईकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है या जिसे इस आदेश के प्रारंभ के समय एकल इकाई के रूप में कार्य किया है, उन्हें केंद्रीय सरकार पूर्वानुमति के बिना किसी खनन इकाई को उप विभाजित करने की या एक पृथक् इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगी ।

18ञ. कोयला खानों के निरीक्षण की शक्ति-- कोयला नियंत्रक या लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी :-

(क) कोयला खान अथवा सिम या सिम के किसी भाग में कोयले के उत्पादन के संबंध में कोयला खान के किसी स्वामी या अभिकर्ता या प्रबंधक को उसके कब्जे से कोई ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो पट्टा क्षेत्र की पूरी सीमाएं, परित्याग क्षेत्र का प्लान, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र और क्षेत्र जिसमें अग्निशमन दर्शाया गया है ।

(ख) किसी दस्तावेज, रजिस्टर और खनन संबंधी कार्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए पूछ सकेगा ।

(ग) कोयला खान के स्वामी या अभिकर्ता या प्रबंधक के कब्जे से किसी खान की योजना का निरीक्षण कर सकेगा, और

(घ) किसी कोयला खान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

18ट. खान समापन को मानीटर करने और खान समापन क्रियाकलाप के लिए बनाए गए निलम्ब लेख खाते को प्रचालित करने की शक्ति-- कोयला नियंत्रक या लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आदेश की अनुपालना को निश्चित कर सकेगा :-

(क) कोयला खान के किसी स्वामी या अभिकर्ता या मानीटर को खान समापन योजना के अनुमोदन को कार्यान्वयन करने के संबंध में उसके कब्जे की कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षा करेगा ;

(ख) खान समापन योजना की शर्तों को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य करने के लिए और समापन क्रियाकलापों का खान पर संचालन करने का निरीक्षण और निदेश देगा ;

(ग) कोयला नियंत्रक खान समापन अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर पट्टाधारी क्षेत्र या किसी संरचना या किसी अन्य संरचना पर पुनः दावा किया गया है जिसका खान स्वामी द्वारा उपयोग नहीं किया जाना है, उसे राज्य सरकार को अभ्यर्पित निम्नलिखित अभिकथित प्रक्रिया में किया जाएगा जो उस समय प्रचलन मे है ।

18ठ. कोयला नियंत्रक को शक्तियों का प्रत्यायोजन :- नियम 18घ, 18ङ, 18छ, 18ठ, 18ट के अधीन विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार की शक्ति कोयला नियंत्रक को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेंगी ।

12. उच्च नियमों के नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) उल्लंघनों के लिए शास्ति-इन नियमों का कोई उल्लंघन अधिनियम की धारा 18 के उपबंध के अनुसार दंडनीय होगा ।

(ii) उक्त नियमों के नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

19 (क) इन नियमों के अनुसरण में कोई कारित या संभावित क्षति के लिए सदभावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

इन नियमों के अधीन पारित आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के समक्ष अपील की जाएगी ।

[फा. सं. 15013/1/2006-सीआरसी-I (जिल्द-II)]

पी. आर. मंडल, सलाहकार (परियोजना)

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 184(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1975 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संख्याकों द्वारा संशोधित किया गया था–

(1) सा.का.नि. 801, तारीख 2 अगस्त, 1980,
(2) सा.का.नि. 65, तारीख 17 जनवरी, 1981,
(3) सा.का.नि. 101, तारीख 14 फरवरी, 1987, और
(4) सा.का.नि. 199(अ), तारीख 23 [illegible] ।

MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

G.S.R. 291(E).—The following draft of certain rules further to amend the Coal Mines Conservation and Development Rules, 1975, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 18 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 25th October, 2010 under the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number. G.S.R. 865(E) dated 25th October, 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th October, 2010;

And whereas no objections and suggestions have been received on the said draft within the stipulated period of forty five days.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

1. These rules may be called the Coal Mines (Conservation and Development) Amendment Rules, 2011.

2. In the Coal Mines (Conservation and Development) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2:-

(a) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

(ca) " agent", "manager" and "owner" when used in relation to a colliery shall have the meaning respectively assigned to them in the Mines Act,1952 (35 of 1952)

(caa) "Bank" means the Accredited Bank,

(caaa) "coal" includes anthracite, bituminous coal or any other form of carbonaceous matter produced, sold, imported or marketed as coal;

"colliery" means any mine or open working where winning or extraction of coal is the principal object of the mining, quarrying or any other operation carried on therein and includes a plant for the production of coke or for the washing of coal;

(b) after clause (d), the following shall be inserted, namely :-

(da) "disposal" includes agreeing or offering to dispose of, and the disposal of ownership or any proprietary interest, the right of possession and possession whether or not accompanied by any disposal of ownership or any proprietary interest or of the right to possession.

(c) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

(fa) 'size' when used in relation to coal shall have the same specification as given, from time to time, by the Bureau of Indian Standards in their specifications number:IS437-1979.

3. Rule 5 of the said Rules shall be deleted.

4. For rule 7 of the said rule, the following rule shall be substituted, namely:-

7. "**Supply of information** – (1) Every owner, agent or manager, shall furnish to the Coal Controller such information regarding production and dispatch of coal, washery products from his mine or mines washery and process products, working methods and conditions in his mine or mines as may be specified by the Coal controller.

(2) The Coal Controller shall furnish to the Coal controller such other information regarding opening, re-opening, closure of mines and any other information as may be required by the Coal Controller in the prescribed media for data transfer".

5. For rule 8 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"8.Collection and assessment of excise duty –

(1) The duties of excise levied under section 6 shall be shown separately by the owner, agent or manager of a coal mine in the bill prepared for the sale of coal and coke.

(2) The excise duty so levied shall be **levied only on raw coal** ,raised, dispatched from the mine or used for coke making or for beneficiation to a coal washery and for soft coke, as the case may be , irrespective of the location or ownership of coal mine, coke plant and coal washery, and not on final product of the coke plant, coal washery and or any other process plant.

(3) Every owner, agent or manager of a coal mine shall maintain a request in Form 'A' showing the quantities of coal or coke actually dispatched during a month, particulars of the parties to whom these were dispatched and the prices charged therefore, and the amount of exercise duty payable during a month at the rates fixed under section; 6 shall be calculated and recorded in the register before the last day of the month following the month during which the dispatches were effected and which may be informed through prevalent media of data transfer electronically.

(4) Every owner shall be deemed to have been provisionally assessed to an amount calculated and recorded under sub-rule (3) as payable during a month and he shall pay the same into the bank, the remittance being creditable to the Central Government in a special account. The payment shall be made within a period of ninety days from the close of the month during which dispatches were effected

(5) The payment under sub-rule (4) shall be made by means of Challans/Electronic transfer (Real Time Gross Settlement (RTGS)/National Electronic Fund Transfer (NEFT)) to the accredited bank. The accredited

1208 GI/11-4

bank shall return one copy of the challan to the depositor who shall transmit this copy under sub-rule (6) to the Coal Controller.

(6) As soon as may be after the date of the payment of the duties of excise in the manner provided in sub-rule (5) and in any case not later than thirty days from the date of such payment, every owner of a coal mine shall submit to the Coal Controller a return in Form 'B' showing a quantities of coal or coke dispatched during the month in respect of which the payment has been made, the amount paid under sub-rule (5) and other particulars specified in that form and it should be informed by suitable electronic media (Real Time Gross Settlement/ National Electronic Fund Transfer (RTGS/NEFT)).

(7) The final assessment on annual basis of the duties of excise due from the owner of a coal mine shall be made by the Coal Controller after examination of the said return and other relevant documents if any. For the purpose of final assessment on annual basis under this sub-rule, the Coal Controller may depute a duly authorized officer to inspect and examine the account books and other records maintained at the premises of a coal mine and may by notice require, the owner to produce either personally or by his authorized representative the said records before the authorized officer at the time and place specified in the notice and also may require electronically data transfer.

(8) If the owner has paid the duties of excise provisionally assessed under sub-rule (4) and has submitted the monthly return under sub-rule (6), the Coal Controller shall either confirm that the amount of duty provisionally assessed under sub-rule (4) is final and send an intimation to that effect to the owner or assess the additional amount found due and issue a notice calling upon the owner to pay into the bank by specified date the additional amount so found due in the manner specified in sub-rule (5) or if the amount paid under sub-rule (4) is found to be in excess of the amount due refund the excess so paid to the owner.

(9) If the owner has not made any payment under sub-rule (4), and has not submitted the monthly return under sub-rule (6), the Coal Controller shall, after giving the owner a reasonable opportunity of being heard, assess him to such an amount of duties of excise as in his opinion is fit and proper and issue a notice calling upon him to pay the full amount into the bank, by a specified date, in the manner prescribed in sub-rule (5).

(10) Any dues of excise duty remaining unpaid after the date specified by the Coal Controller shall be recovered from the owner of the coal mine as an arrear of land revenue and shall be credited to the Central Government. Towards this, the Coal Controller will raise a recovery certificate as arrear of land revenue to the concerned Collector/State Authority in the area.

(11) In calculating the amount of duties of excise payable on any one consignment any paisa shall be rounded off to the nearest five paise or multiple of five paise and the actual weight of a consignment shall be rounded off to the nearest tonne ".

6. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1) ,-

(a) for the words, brackets and figure "sub-rule (8)", the words, brackets and figures "sub-rule (7)" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words, brackets and figure "sub-rule (6)", the words, brackets and figure "sub-rule (5)" shall be substituted.

7. In rule 10 of the said rules:-

(a) for sub rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Advisory Committee shall consist of the following members, namely-

(i) Additional Secretary(Coal), Ministry of Coal ex-officio who shall be the Chairman;

(ii) Financial Adviser and Joint Secretary, Ministry of Coal ex-officio,(member)

(iii) Advisor(Projects), Ministry of Coal (member)

(iv) Director General Mine Safety, Ministry of Labour ex-officio (member).

(v) Sr.Advisor(Energy), Planning Commission (member).

(vi) Chairman –cum-Managing Director, BCCL.(Member)

(vii) Chairman –cum-Managing Director, ECL(Member)

(viii) Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning & Design Institute (Member)

(ix) Director (Technical), Coal India Ltd.

(x) Director (Technical), SCCL

(xi) Director, Central Institute of Mining & Fuel Research, Dhanbad ex-officio (member)

(xii). Coal Controller, Ministry of Coal - member secretary

(xiii) Two representative of private/captive coal producing organizations to be nominated by the Central Government."

(b) in sub – rule (3), for item (iv) and entries relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely:-

"(iv) undertaking formulation and implementation of national policy on Mine Closure Plan of Coal(including Lignite) mines".

8. In rule 12 of the said rules:-

(a) under heading (1) Conservation and Safety,

(i) in item (ii), the sub-items (d) and (e) and entries relating thereto shall be deleted;

(ii) item (iii) and entries relating thereto shall be deleted;

(b) under heading (2) Scientific Development of Coal Mines,

(i) item(ii) and entries relating thereto shall be deleted;

(ii) for item (vi) and (vii) and entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

"(vi) introduction of man riding system

(vii) IT and other electronic aids for application in mining."

(c) headings (3) and (4) shall be deleted.

(d) under heading (5) Research and Development ,-

(i) for item (i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:

"(i) Transportation of stowing material,";

(ii) item (ii) and the entries relating thereto shall be deleted;

(iii) for item (v) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"(v) Assessment of ventilation and other environmental condition in mines,";

(iv) item (vii) and the entries relating thereto shall be deleted;

(v) after item (viii) and entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

"(ix) any other activity for furtherance of conservation as directed by the Central Government."

9. In rule 13 of the said rules for the words "Central Government", the words "Coal Controller" shall be substituted.

10. In rule 17 of the said rules, for the words "Central Government", the words "Coal Controller" shall be substituted.

11. After chapter V, the following chapter shall be inserted, namely:-

CHAPTER-VA

COAL CONTROLLER ORGANIZATION AND ITS FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES

18A. **Categorisation of coal.**- The Central Government may, by notification in the Official Gazette, prescribe the classes, grades and sizes into which coal may be categorized and the specifications for each such class, grade or size of coal.

18 B. **Procedure for categorization of coal.**- (1) On the basis of the categorization notified by the Central Government under rule 3, the Coal Controller shall lay down the procedure and method of sampling and analysis of coal for the purpose of declaration and maintenance of grades of coal mined in a colliery.

1208 GI/11-5

2. The owner, agent, manager of a colliery shall declare the classes, grades or sizes of the coal of any seam or section of a seam in a colliery in accordance with the procedure specified in sub-rule(i).

3, The owner. agent or manager of the colliery shall allow the inspection of the colliery undertaken by the Coal Controller or any officer authorized by him in this regard so as to ensure the correctness of the class, grade or size declared. During inspection, if the Coal Controller or the officer authorized by him decides to draw sample, the owner, agent or manager of the colliery shall provide all necessary facilities and assistance for drawing such sample.

4. If after inspection or from the sample drawn, the Coal Controller is satisfied that the grade as declared by the owner, agent or the manager of the colliery does not conform to the grade notified under clause (iii) of this rule the owner, agent or manager of the colliery shall be bound to revise the grade as per the direction issued by the Coal Controller.

5. If any dispute arises between a consumer and a owner of a colliery regarding the declaration of grades of coal, the same may be referred to the Coal Controller whose decisions shall be binding on the owner of the colliery. A memorandum of reference to the Coal Controller regarding such dispute shall be accompanied by a fee of rupees two thousand and five hundred and in such manner, as may be specified by the Coal Controller, from time to time.

18C. Submission of returns and information to Coal Controller. - Every owner of a colliery and every person engaged in the business of production, supply and distribution of, or trade and commerce in coal, on being directed to do so by the Coal Controller shall submit such returns and other information, within such time, as may be specified in the direction.

18D. Directions to regulate the disposal of coal stocks.- (1) The Central Government may, from time to time, issue such directions as it may deem fit to any owner of a colliery regulating the disposal of stocks of coal or of the expected output of coal in the colliery during any period.

(2) For the purpose of conservation of coal, the Central Government may, by order in writing issue such directions as it deems fit for ensuring economy in the use of coal and, for the purpose of verifying whether such directions have been or are being complied with, call for such information

and returns from consumers as it considers necessary and arrange for the inspection of stocks of coal and coke held by consumers.

18E. Power of the Coal Controller for quality surveillance. – The Coal Controller or any other officer authorised by him in writing shall be competent to, –

(a) cause the owner, agent or manager of a colliery or any person engaged in or incharge of the loading of coal in wagons, trolleys or trucks in a colliery to adjust the loading according to the procedure laid down by the Coal Controller regarding grades and size of coal and to remove impurities like shales and stones from the wagons, trolleys or trucks loaded with coal.

(b) detain the wagons, trolleys or trucks at the colliery or weighbridge for adjustment of loading after inspection, and

(c) return the wagons, trolleys or trucks to the colliery from Weighbridge for unloading and reloading with the specified quantity and quality of coal.

18 F. Power to prohibit or limit the mining or production of coal. – The Central Government may issue such direction as it may deem fit to any colliery owner prohibiting or limiting the mining or production of any grade of coal and the colliery owner shall comply with such directions.

18G. Requirement of prior permission to open a coal mine, seam or section of a seam. – (1) No owner of a colliery shall open a coal mine, seam or a section of a seam without the prior permission in writing of the Central Government.

(2) No owner of a colliery shall also commence mining operations in a colliery or seam or a section of a seam, in which the mining operation has been discontinued for a period exceeding one hundred and eighty days, without the prior permission in writing of the Central Government.

18H. Notice of suspension or closure. – If the mining operations in a coal mine or seam or a section of a seam is suspended or closed temporarily or permanently, as the case may be, for any reason whatsoever, then, a notice of such suspension or closure shall be given by the owner, agent or manager

of the colliery within a period of thirty days from the date of such suspension or closure to the Coal Controller.

18I. Power to restrict sub-division of a coal mine. - No owner of a colliery or a group of collieries which has been permitted under rule 18G to work as a single mining unit or which has been working as a single unit at the time of commencement of this order, shall be allowed to sub-divide his mining unit or to work as a separate unit without the prior permission of the Central Government.

18J.Power to Inspect collieries. – The Coal Controller or any other Officer authorised by him in writing, may ,-

(a) require any owner or agent or manager of a colliery to give any information in his possession relating to the production of coal in the coal mine or seam or section of a seam showing full boundaries of the leasehold area and plan of abandoned area, flooded area and area which has been or is on fire,

(b) ask for production of any document, register and working plan,
(c) inspect any mine plan in the possession of owner or agent or manager of a colliery and
(d) enter and inspect any colliery.

18K. Power to Monitor Mine Closure and operate the escrow account formed for funding Mine Closure Activity. – The Coal Controller or any other officer authorized by him in writing may with a view to securing compliance of this order, -

(a) Require any owner or agent or monitor of a colliery to give any information in his possession regarding to implementation of approved mine closure plan;

(b) Inspect the closure activities being conducted at the mine and direct for any additional jobs to be carried out to fulfill the conditions of Mine Closure Plan;

(c) Coal Controller shall issue Mine Closure Compliance Certificates based on which the reclaimed leasehold area or any structure thereon which is not to be utilized by the mine owner shall be surrendered to the State

Government following a laid down procedure which are in vogue at that point of time.

18L. Delegation of powers to Çoal Controller. – The powers of the Central Government specified under rules 18D, 18E, 18G, 18I, 18K may be delegated by notification in the Official Gazette to the Coal Controller.

12. For rule 19 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

(i) Penalty for contraventions – Any contravention of these rules shall be punishable as per the provision of Section 18 in the Act.

(ii) After rule 19 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

19 (A) Protection of action taken in good faith for any damage caused or likely to be caused in pursuance of these rules.

Any person aggrieved by the order passed under these rules may within thirty days from the date of receipt of such order prefer an appeal before Central Government.

[F. No.15013/1/2006-CRC-I (Vol-II)]
P. R. MANDAL, Adviser (Projects)

Footnote:— The Principal rules were notified vide number G.S.R. 184 (E), dated the 1st April, 1975 and subsequently amended vide number –

(1) G.S.R. 801, dated the 2nd August, 1980,
(2) G.S.R. 65, dated the 17th January, 1981, and
(3) G.S.R 101, dated the 14th February, 1987,
(4) G.S.R. 199 (E), dated the 23rd April, 1998.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2011/ पौष 6, 1933
No. 687] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2011/PASUA 6, 1933

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 902(अ).—कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 27 सितम्बर, 2011 में भारत सरकार के कोयला खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 722(अ) तारीख 27 सितम्बर 2011 के अधीन प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र में उक्त अधिसूचना को प्रकाशित किया गया था, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र जनता को 27 सितम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दिया था ;

और उक्त प्रारूप पर पैंतालीस दिन की नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) दूसरा संशोधन नियम, 2011 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 के नियम 7 के उप-नियम (2) में "कोयला नियंत्रक खान को खोलने, पुन: खोले जाने और समापन किए जाने के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक खान को खोलने, पुन: खोले जाने और समापन किए जाने के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 15013/1/2006-सीआरसी-I (खंड-II)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 184(अ) तारीख 1 अप्रैल, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित संख्यांक द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 801, तारीख 2 अगस्त, 1980;
(2) सा.का.नि. 65, तारीख 17 जनवरी, 1981;
(3) सा.का.नि. 101 तारीख 14 फरवरी , 1987;
(4) सा.का.नि. 199(अ), तारीख 23 अप्रैल, 1998; और
(5) सा.का.नि. 291(अ), तारीख 31 मार्च, 2011 ।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2011

G. S. R. 902(E).—The following draft of certain rules further to amend the Coal Mines (Conservation and Development) Rules, 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974), were published as required by sub-section (1) of Section 18 of the said Act in

the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 27th September, 2011 under the notification of the Government of India in the Ministry of Coal *vide* number G.S.R. 722(E) dated the 27th September, 2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th September, 2011;

And whereas no objections and suggestions have been received on the said draft within the stipulated period of forty-five days.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. (i) These rules may be called the Coal Mines (Conservation and Development) Second Amendment Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines (Conservation and Development) Rules, 1975, in sub-rule (2) of rule 7, for the words "The Coal Controller shall furnish", the words "Every owner, agent or manager shall furnish", shall be substituted.

[F. No. 15013/1/2006-CRC-I (Vol.-II)]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Footnote:— The Principal rules were notified *vide* number G.S.R. 184 (E), dated the 1st April, 1975 and subsequently amended *vide* numbers :—

(1) G.S.R. 801, dated the 2nd August, 1980,

(2) G.S.R. 65, dated the 17th January, 1981,

(3) G.S.R. 101, dated the 14th February, 1987,

(4) G.S.R. 199 (E), dated the 23rd April, 1998, and

(5) G.S.R. 291(E), dated the 31st March, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.